

## वमिक्त जनजातियों को SC, ST और OBC के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना

### प्रलमिस के लयि:

[SC/ST/OBC](#) स्थति के लयि मानदंड, [संवधिन \(अनुसूचति जातयिँ\) आदेश 1950](#), [भारत के रजसिटरार जनरल](#), [वमिक्त जनजातयिँ \(DNT\)](#), [घुमंतू जनजातयिँ \(NT\)](#), [अरद्ध-घुमंतू जनजातयिँ \(SNT\)](#), वमिक्त, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू समुदायों के लयि वकिस और कल्याण बोरड (DWBDNC) ।

### मेन्स के लयि:

अनुसूचति जातयिँ और जनजातयिँ से संबंधति मुद्दे, सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप, भारत में वमिक्त, खानाबदोश और अरद्ध-खानाबदोश जनजातयिँ की स्थति ।

[स्रोत: द हदि](#)

## चर्चा में क्योँ?

[भारतीय मानव वजिज्ञान सर्वेक्षण \(AnSI\)](#) और [जनजातीय अनुसंधान संस्थानों \(TRI\)](#) द्वारा कयि गए एक नृजातीय अधययन में वभिन्न राज्यों और केंद्र शासति प्रदेशों की [SC, ST](#) और [OBC](#) सूचयिँ में [179 वमिक्त जनजातयिँ \(DNT\)](#), [घुमंतू जनजातयिँ \(NT\)](#) और [अरद्ध-घुमंतू जनजातयिँ \(SNT\)](#) को शामिल करने की सफिरशि की गई है ।

- अगस्त 2022 का अधययन [नीति आयोग](#) पैनल की समीक्षा के अधीन है और अंतमि अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है ।

## जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRI)

- परचिय:** TRI **जनजातीय मामलों के मंत्रालय** के तहत अनुसंधान नकिय है, जो **राज्य स्तर** पर काम करते हैं । संपूरण भारत में **28 TRI** हैं ।
- प्राथमकि फोकस:**
  - ज्ज्ञान एवं अनुसंधान:** जनजातीय वकिस के लयि **थकि टैंक** के रूप में कार्य करना ।
  - सांस्कृतकि वरिसत:** **जनजातीय संस्कृति** और परंपराओं का संरक्षण और संवर्द्धन करना ।
  - साक्ष्य-आधारति योजना:** **जनजातीय वकिस नीतयिँ** और **कानूनों** के लयि **राज्य सरकारों** को डेटा और अंतरदृष्टि प्रदान करना ।
  - क्षमता नरिमाण:** **जनजातीय लोगों** और **जनजातीय समुदायों** के साथ काम करने वाली **संस्थाओं** के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना ।

## भारतीय मानववजिज्ञान सर्वेक्षण (AnSI)

- AnSI वर्ष 1945 में स्थापति** एक सरकारी वतित पोषति अनुसंधान संगठन है जो **भारत की सांस्कृतकि, जैवकि और भाषाई वविधिता का अधययन करता है** ।
- कार्य:** अनुसंधान डेटा का संग्रहण, संरक्षण और उसका प्रकशन करना और इसके अतरिकित क्षेत्र सर्वेक्षण करना तथा अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नकियों के साथ सहयोग करना ।
- मुख्यालय:** यह कोलकाता, पश्चमि बंगाल में स्थति है ।

## उपर्युक्त जनजातियों पर किये गए अध्ययन संबंधी प्रमुख बडि कौन-से हैं?

- नये परविर्द्धन: कुल 179 अनुशंसति समुदायों में से 46 समुदायों को **OBC** में, 29 समुदायों को **SC** में और 10 समुदायों को **ST** में शामिल किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
  - त्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमलिनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे अधिक प्रभावति हैं, तथासबसे अधिक नए परविर्द्धन उत्तर प्रदेश के लिये किये गए।
- पता न लगा पाने की समस्या: 63 समुदायों का पता नहीं लगाया जा सका, जसिसे यह सुझाव मलिता है कवि समुदाय समीकृत हो गए हैं अथवा नाम में परविर्त्तन कर लिया है अथवा पलायन कर गए हैं।
  - यह वर्गीकरण प्रक्रिया के समक्ष चुनौती है तथा ऐसे समुदायों की पहचान करने में चिता उत्पन्न होती है जनिमें महत्त्वपूर्ण सामाजिक एकीकरण हुआ है।
- मौजूदा समुदायों का वर्गीकरण: अध्ययन में 9 मौजूदा समुदायों के वर्गीकरण को सही करने का भी सुझाव दिया गया है, जनिहें राज्य या केंद्रीय सूचियों में या तो गलत वर्गीकृत किये गया था या अपर्याप्त रूप से सूचीबद्ध किये गया था।

## भारत में SC/ST/OBC सूची में परविर्त्तन की प्रक्रिया क्या है?

- समावेशन के मानदंड:
  - अनुसूचति जाति (SC): ऐतहासिक रीत-रिवाज़ या असुपृश्यता से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पछिड़ापन।
  - अनुसूचति जनजातियाँ (ST): आदिम लक्षणों के संकेत, वशिष्ट संस्कृति, बडे पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच, भौगोलिक अलगाव, पछिड़ापन।
  - अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC): सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पछिड़ापन, साथ ही सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।
- प्रक्रिया:
  - प्रारंभ और जाँच: किसी समुदाय को SC/ST/OBC सूची में शामिल किये जाने अथवा बाहर करने के लिये प्रस्ताव पर कार्य सबसे पहले राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किया जाता है, जसि बाद में भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) और NCSC या NCST द्वारा समर्थति किया जाता है।
    - केंद्रीय OBC सूची में शामिल करने के लिये NCBC अधिनियम, 1993 की धारा 9 के अनुसार राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सफारिशों की आवश्यकता होती है।
    - SC/ST श्रेणी में शामिल करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 341 (SC के लिये) और अनुच्छेद 342 (ST के लिये) द्वारा शासति होती है।
    - प्रस्ताव की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जाँच की जाती है, जो RGI के इनपुट के साथ सामाजिक-आर्थिक कारकों और ऐतहासिक आँकड़ों के आधार पर इसका मूल्यांकन करता है।
    - सूचियों में संशोधन प्रस्ताव की समीक्षा और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के अधीन हैं।
  - संसदीय प्रक्रिया: SC/ST/OBC सूची में प्रस्तावति परविर्त्तनों को औपचारिक रूप देने के लिये संसद में एक संवैधानिक संशोधन वधियक पेश किया जाता है।
    - वधियक को वशिष बहुमत, अर्थात उपस्थति और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तहाई बहुमत के साथ-साथसदन की कुल संख्या के 50% से अधिक सदस्यों का समर्थन, से पारति कराने की आवश्यकता होती है।
  - राष्ट्रपति की स्वीकृति और कार्यान्वयन: संसद के दोनों सदनों द्वारा पारति होने के बाद, वधियक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिये जाने के बाद, SC/ST/OBC में संशोधन आधिकारिक रूप से लागू हो जाते हैं।

## भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI):

- गृह मंत्रालय के अधीन वर्ष 1961 में स्थापति, भारत के महापंजीयक सर्वेक्षण, जसिमें जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण शामिल हैं, की देखरेख करता है।

## DNT, NT और SNT कौन हैं?

पढ़ने के लिये कलिक करें: [वमिकृत जनजातियाँ \(DNT\)](#), [खानाबदोश जनजातियाँ \(NT\)](#), और [अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियाँ \(SNT\)](#)

## भारत में SC, ST और OBC से संबंधति संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- मौलिक अधिकार:
  - अनुच्छेद 17 और 23 असुपृश्यता और मानव तसकरी पर रोक लगाते हैं तथा अनुसूचति जातियों के लिये सुरक्षा सुनिश्चति करते हैं।
    - अनुच्छेद 15(4) शैक्षणिक संस्थाओं में उन्नति के लिये वशिष प्रावधान की अनुमति देता है।
    - अनुच्छेद 16(4) सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण का प्रावधान करता है।

- राजनीतिक प्रतनिधित्व: **अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332**
- अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342:
  - अनुच्छेद 340: राष्ट्रपतिको पछिडे वर्गों की जाँच करने और कल्याणकारी उपायों की सफारिश करने के लिये एक आयोग नयिकृत करने का अधिकार है।
  - अनुच्छेद 341: राष्ट्रपतिको कसिी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिये अनुसूचित जातियों को नरिदषिट करने का अधिकार देता है।
  - अनुच्छेद 342: इसके तहत राष्ट्रपतिको कसिी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिये अनुसूचित जनजातियों को नरिदषिट करने का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद 46: अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हतियों को बढावा देने का नरिदेश दिया गया है।
  - अनुच्छेद 338 और 338A: इसमें SC/ST के हतियों की रक्षा के लिये NCSC और NCST की स्थापना का प्रावधान है।
  - राष्ट्रीय पछिडा वर्ग आयोग (NCBC): इसे अनुच्छेद 338B के तहत 102वें संवधान संशोधन अधनियम (2018) के माध्यम से स्थापति किया गया।
  - अनुसूचित जनजातियों के लिये वशिष प्रशासन: पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची।

दृषट मुख् परीक्षा प्रश्न:

भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पछिडे वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपाय एवं योजनाएँ क्या हैं?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

**?????????:**

प्र. यद कसिी वशिषिट क्षेत्र को भारत के संवधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो नमिनलखिति कथनों में कौन-सा एक कथन इसके परणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? (2022)

- इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर-जनजातीय लोगों के अंतरति करने पर रोक लगेगी।
- इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा।
- इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा।
- जसि राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे, उसे वशिष कोटिका राज्य घोषति किया जाएगा क्षेत्रों वाले राज्य को वशिष श्रेणी का राज्य घोषति किया जाएगा।

उत्तर: (a)

प्र. भारत के संवधान की कसि अनुसूची के तहत खनन के लिये नजिी पार्टियों को आदविसी भूमिके हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषति किया जा सकता है? (2019)

- तीसरी अनुसूची
- पाँचवी अनुसूची
- नौवी अनुसूची
- बारहवी अनुसूची

उत्तर: (B)

**?????????:**

प्रश्न. वर्ष 2001 में आर.जी.आई. ने कहा कदिलति जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तति हो गए हैं, वे एक भी जातीय समूह नहीं हैं क्योंकि वे वभिन्नि जातिसमूहों से संबधति हैं। इसलिये उन्हें अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है, जसिमें शामिल करने हेतु एकल जातीय समूह की आवश्यकता होती है। (2014)

प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के करयानवयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

